

1	2	3	4	5	6	7
मिर्जापुर	हुण्डा	हुण्डा	गोखरा	2357	बि० बि० बि०	0 4 10
				2359		0 1 0
				2360		0 3 0
				2362		0 2 0
				2364		0 3 0
				2365		0 19 0
				2366		0 6 0
				2367		2 2 10
				2728		18 19 10
				2729		15 11 0
				योग		103 11 10
						या
						64.47 एकड़
						या
						26.045 हे०

25 जनवरी, 1979 ई०

सं० 8109/बीवह-2--503-77--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम सं० 16, 1927) को धारा 29 के अधीन शक्ति का और इस निमित्त अन्य समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित उत्तर प्रदेश राज्य में रेलवे के दोनों तरफ के सरकारी वन या वन भूमि की पट्टियों को, चाहे उन पर वृक्ष लगे हों या नहीं, सरकारी वन घोषित करते हैं तथा उन पर उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और धारा 68 के उपबन्ध लागू होंगे :

पट्टी का नाम	विवरण और स्थिति
रेलवे	प्रबन्ध के लिये वन विभाग को अन्तर्गत पूर्वोक्त रेलवे के निम्नलिखित सेक्शन के रेलवे ट्रैक और स्टेशन यार्ड से लगी हुई भूमि

इज्जतनगर मण्डल--

- 1--रावतपुर से फर्रुखाबाद
- 2--फर्रुखाबाद से कासगंज
- 3--कासगंज से अछतरा
- 4--कासगंज जंक्शन से बरेली
- 5--बरेली जंक्शन से काठनोदाम
- 6--भोकोपुरा से मेलानी
- 7--पौलीमोत से टनकपुर
- 8--सधुरा जंक्शन से बुन्दावन
- 9--पौलीमोत से शाहजहांपुर
- 10--सहवाजनगर से फेरगंज
- 11--मुराबाबाद से काशीपुर
- 12--काशीपुर से रामनगर
- 13--लालकुआं से काशीपुर
- 14--सन्धना से ब्रह्मवर्त
- 15--इज्जतनगर से सहस्रगंज
- 16--इज्जतनगर से कलहस्रगंज

लखनऊ मण्डल--

- 1--गोरखपुर छावनी से गान्डी
- 2--गान्डी से लखनऊ जंक्शन

3--लखनऊ जंक्शन से रावतपुर

4--मेलानी से डालीगंज

5--गोरखपुर से गान्डी (लूप)

6--मनकापुर से कटरा

7--गान्डी से मेलानी

8--आनन्द नगर से नौतनवा

9--बुरहवल से सीतापुर

10--मनसारी से जज्जा

11--नानपारा से नैपालगंज रोड

12--बुन्दावन से गौरीफन्दा

13--बुन्दावन से चन्दन बोकी

14--सीतापुर से थामसनगंज

वाराणसी मण्डल--

1--मदनो से गोरखपुर छावनी

2--मदनो से वाराणसी

3--वाराणसी से इलाहाबाद सेंट्रल

4--मदनो से बनकटा

5--गोरखपुर छावनी से तिनफेरिया हाट (लूप)

6--औरिहार जंक्शन से बकुलहा

7--छितौनी से कप्तानगंज

8--सलेमपुर से बरहजवाजार

9--इन्दारा से दोहरीघाट

10--फेफना से इन्दारा

11--मऊ जंक्शन से शाहगंज

12--औरिहार से जौनपुर

13--माधोसिंह से चील्हा

Photocopy attached

अ/स

प्रमाणित निदेशक
शासनाधिकारि प्रमुख
६

आज्ञा से,
एन० पी० त्रिपाठी,
सचिव ।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 8109/XIV-2-503-77, dated January 25, 1979 for general information :

No. 8109/XIV-2-503-77
January 25, 1979

In exercise of the powers under section of the Indian Forest Act, 1927 (Act no. XVI 1927) and all other powers enabling him

4. Kasganj Junction—Bareilly.
5. Bareilly Junction—Kathgodam.
6. Bhojipura—Maillani.
7. Pilibhit—Tanakpur.
8. Mathura Junction—Vrindavan.
9. Pilibhit—Shahjahanpur.
10. Sahbajnagar—Pherganj.
11. Moradabad—Kashipur.
12. Kashipur—Ramuagar.
13. Lakunwan—Kashipur.
14. Mandhana—Bramhavar.
15. Izzatnagar—Sahmatganj.
16. Izzatnagar—Kalliasganj.

Lucknow Division :

1. Gorakhpur Chhawan—Gonda.
2. Gonda—Lucknow Junction.
3. Lucknow Junction—Rawatpur.
4. Maillani—Daliganj.
5. Gorakhpur—Gonda (Loop).
6. Mankapur—Katra.
- ✓ 7. Gonda—Maillani.
8. Anandnagar—Nautanwa.
9. Burahbal—Sitapur.
10. Gansari—Jarwa.
11. Nanpara—Nepalganj Road.
12. Dudwa—Gauripahata.
13. Dudwa—Chandan Chawki.
14. Sitapur—Thomsanganj.

Varanasi Division :

1. Bhatni—Gorakhpur Chhawan.
- ✓ 2. Bhatni—Varanasi. (11)
3. Varanasi—Allahabad City.
4. Bhatni—Bankatn.
5. Gorakhpur Chhawan—Tupheria halt (Loop).
6. Aurihar Junction—Bakulia.
7. Chhitauni—Kaptanganj.
8. Salempur—Barahajbajar.
- ✓ 9. Indara—Dohrighat. (11)
- ✓ 10. Pheema—Indara. (11)
- ✓ 11. Mau Junction—Shahganj. (11)

डाया धीर यमोज

अहायक निदेशक

३१.३.२७. वन प्रभाग २२/२०२०